भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 04 / 37 / 2018 / एफ.सी. / 80

दिनॉक: 04-5-18

सेवा में,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/TRANS/26448/2017

विषय : 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः–मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–2801 / उरई–अलीगढ़ लाइन(2.8256 हे0) / 26448 / 2017, दिनांक– 02.04.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. प्रस्ताव के औचित्य के संबंध में कोई उल्लेख नही प्रस्तुत किया गया है।
2- प्राधिकार पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नही किया गया है।
3- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन प्रतिवेदित है। अतः दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों एवं एजेंसी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कृत कार्रवाई एवं जुर्माना आदि का विवरण उपलबध कराया जाए।
4- प्रभागीय निदेशक, एटा द्वारा स्थलीय निरिक्षण टिप्पणी में प्रस्तावित वन भूमि को न्यूनतम नही होने का उल्लेख किया गया है, जिसे स्पष्ट करना वांछित है।
5- अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूखंण्ड का सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोशीट मूल रूप में प्रस्तुत नही किया गया है।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, उ0 प्र0।
3. मुख्य प्रबन्धक, पावॅर ग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, मैनपुरी, उ0 प्र0।
4. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली ।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

<u>प्राथमिकता</u>

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 3089 / उरई–अलीगढ़ लाइन(2.8256 हे0) / 26448 / 2017, दिनांक, लखनऊ, मई 07 , 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ एवं आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को <u>तीन मूल प्रति में</u> उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, एटा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार स्पष्ट सूचना एवं अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपने वन संरक्षक को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय
वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
पत्रांक 3749 / 141 दिनांक 07-5-2018

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक एटा/सा0 प्रभाग एटा को ... इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार ... [illegible]